न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

<u>स्वत्व वाद सं0–88/2014</u>
सी.आई.एस. 88/2014

17-02-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के विधिक वारिसानों द्वारा दिनांक–22.04.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वाद की एकमात्र वादी उषा देवी की मृत्यु दिनांक–04.07.2021 को कोरोना की वजह से हो चुकी है और वह अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने पति राम चन्द्र साव, पुत्र पंकह कुमार गुप्ता व धीरज कुमार एवं पुत्रियां आरती कुमारी गुप्ता, पूजा देवी व जूली देवी को छोड़ गई हैं। अतः वादी के नाम को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों के नाम को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

वादी के विधिक वारिसानों के आवेदन को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–22.04.2022 अंतर्गत आदेश 22, नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही वादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वादी के नाम को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों के नाम को प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक–01.05. 2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

17.02.23
अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी